प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद

सेवामें

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र
प्रीति बिहार, नयी दिल्ली।

पत्रांक/शिविर / /2013–14 दिनांक– 14/8/2013
विषयः–जमुना मालती गुरूकुलम पब्लिक स्कूल कालाकांकर प्रतापगढ़ (सी0बी0एस0ई)नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए शासनादेश संख्या 1916/15–7–09–1 (299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 के द्वारा गठित गण्डलीय समिति की संस्तुति दिनांक 24.07.2013 एवं 01.08.2013 के आधार पर उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0नयी दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्या प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नयी दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नयी दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगीं।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
10. सी0बी0एस0ई0नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता से युक्त अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे।
11. सी0बी0एस0ई0नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की सेवा नियमावली का पालन किया जायेगा।
12. छात्र/छात्राओं से वही शुल्क लिया जायेगा जिन मदों में शुल्क अनुमन्य है।
13. शिक्षण कक्ष/प्रयोगशाला/पुस्तकालय/कार्यालय कक्ष मानक के अनुरूप ही रखे जायें।
14. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में एक ही परिवार बाहुल्य नहीं रखा जायेगा।
15. विद्यालय द्वारा ग्राम सभाज की भूमि तथा पनघट, गोचर, तालाब, खलिहान का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

Principal
J.M.G. Public School
Kalakankar, Pratapgarh

PRESHAK 24-08-2012

MANAGER
J.M.G. Public School
Kalakankar Pratapgarh

संगीता यादव
प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा एवं सम्बद्धता के पूर्व संस्था के 05 अप्रशिक्षित शिक्षकों के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक रखे जायं, तथा संस्था के कर्मचारियों को जो राज्य सरकार से जो कम वेतन दिया जा रहा उसे पूर्ण किया जाय,।

यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने मे किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(ओ0पी0 द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

पृष्ठांकन संख्या/शिविर / 4215-21 /2013—14 उसीतिथि को
प्रतिलिपि— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद
2. शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0, शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड, लखनऊ
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रतापगढ़
4. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ
5. प्रबंधक,जमुना मालती गुरूकुलम पब्लिक स्कूल, कालाकांकर प्रतापगढ़।
6. कार्यालय गार्ड पत्रावली

संगीता यादव
प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

(ओ0पी0 द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

MANAGER
J.M.G. Public School
Kalakankar-Pratapgarh

Principal
J.M.G. Public School
Kalakankar, Pratapgarh

PRESHAK 24-08-2012